भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2397

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

2397. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन और आतिथ्य–सत्कार क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विषय में कोई आकलन करवाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि लॉकडाउन और इस महामारी के कारण पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार क्षेत्रों में लगभग 5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मंत्रालय इन क्षेत्रों को क्या प्रोत्साहन पैकेज देने का विचार रखता है और क्या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कोई पैकेज प्रदान किया गया है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बजट 2021-22 में मंत्रालय को बहुत कम सहायता प्राप्त होने के मद्देनजर मंत्रालय पर्यटन और आतिथ्य–सत्कार क्षेत्र को किस प्रकार स्थिर बनाए रखने की योजना बना रहा है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क), (ख) और (ग): यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के बंद होने से पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका पर क्रमिक प्रभाव पड़ा है। पर्यटन मंत्रालय ने "भारत तथा कोरोना महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां" विषय पर अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को जनवरी, 2021 में नियुक्त किया है । इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पर्यटन से जुड़े घरेलू क्षेत्रों जिन्हें औपचारिक तथा अनौपचारिक जैसे अनेक वर्गों में आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, की आय पर पर्यटन कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र-वार (अथवा उद्योग-वार) आकलन करना।
- पर्यटन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू क्षेत्रों की आय और रोजगार के क्षेत्र-वार तथा समग्र नुकसान का आकलन करना।
- घरेलू पर्यटन कार्यकलापों और पर्यटन से जुडे अन्य क्षेत्रों को क्रमिक रूप से खोले जाने के प्रभाव का आकलन करना ।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संभावित प्रभाव का आकलन करना।
- सामान्य रूप से पर्यटन क्षेत्र और विशेष रूप से पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से जुड़े परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित नीतिगत उपाय प्रस्तावित करना।

क्योंकि स्थिति में परिवर्तन अभी भी जारी है अतः अंतिम प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा।

(घ) और (ड.): भारत सरकार ने पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र के लाभ के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अनेक वित्तीय एवं राहत उपायों की घोषणा की है।

भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके द्वारा एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रु. का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस ऋण की अवधि 4 वर्ष की होगी तथा 12 माह की ऋण स्थगन अवधि होगी।
- सरकार ने उन संगठनों को तीन माह के पीएफ अंशदान से छूट दी है जिनमें 100 से कम पैक्स और 15000 रु. से कम वेतन वाले 90% कर्मचारी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यह उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अगले 3 माह अर्थात सितंबर 2020 तक है जो ईपीएफओ द्वारा कवर होते हैं।
- अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन
- 5 करोड़ रुपए तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना 3 माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए 9% के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और बहाली सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के आलोक में आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से अलग-अलग अवधि के लिए छूट भी दी है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(च): पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निवटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है:

*****

अनुबंध

कोविड-19 महामारी का प्रभाव के संबंध में दिनांक 16.03.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 2397 के भाग (च) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निवटने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे और पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए कोविड-19 सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और दिनांक 8 जून 2020 को जारी किए गए हैं।
ii. जिन होटल तथा अन्य आवास इकाईयों के परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो गई है/अथवा समाप्त होने वाली है उनके अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
iii. मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान और उसके बाद होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए एसएएटीएचआई (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक पहल की है।
iv. यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशों जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
v. पर्यटन मंत्रालय द्वारा यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता स्वत: छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। जिन्होंने मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के पूरा होने तक उन्हें छह माह के लिए अस्थाई रूप से मान्यता प्रदान की गई है।
vi. मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत विदेशी बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन सेवाप्रदाताओं, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
vii. सरकार ने देश में एम आई सी ई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के अंतर्गत एमआईसीई आयोजनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनो में संशोधन किया है।

मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप/ पहले की है :

i. देखो अपना देश वेबीनार
ii. लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में प्रमुख शहरों और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, उडुपी, औरंगाबाद, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल) की हवाई फोटोग्राफी।
iii. पर्यटन क्षेत्र को दोबारा खोले जाने से संबंधित मुद्दों पर उद्योग जगत के हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श ।
iv. पर्यटको की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षा प्रोटोकॉल, सेवा मानक आदि।
v. वेबीनारो, सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से घरेलू पर्यटन संवर्धन अभियान।
vi. देखो अपना देश अभियान घरेलू पर्यटन का संवर्धन का प्रमुख आधार रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में यात्रा हेतु सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के प्रति घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विश्वास को दोबारा स्थापित करना है।

*****